

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला – बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्र.क.क.मांक-376 / 2010  
संस्थित दिनांक-18 / 06 / 2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

**विरुद्ध**

विजय बोपचे पिता हीरालाल बोपचे, उम्र-39,  
निवासी-ग्राम खोलवा, थाना बैहर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियुक्त

// निर्णय //

**(आज दिनांक-25 / 11 / 2014 को घोषित)**

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 (दो काउंट), 338 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक-19.04.2010 को समय 10:30 बजे स्थान समनापुर के आगे कीस नदी के पुलिया टर्निंग पर चौकी उकवा थाना रूपझर जिला बालाघाट अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन टवेरा क्रमांक-एम.पी.20/बी.ए. 1222 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए आहत पुष्पलता, ढलकराम को ठोस मारकर उपहति कारित एवं आहत रामप्रसाद को ठोस मारकर घोर उपहति कारित किया।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-19.04.2010 को समय 10:30 बजे आरोपी ने वाहन टवेरा क्रमांक-एम.पी.20/बी.ए. 1222 को लोकमार्ग समनापुर के आगे कीस नदी के पुलिया टर्निंग पर लापरवाही पूर्वक व तेज गति से चलाकर फरियादी के वाहन को ठोस मार दिया, जिससे उक्त वाहन में बैठे आहत ढलकराम और पुष्पलता को साधारण उपहति कारित हुई तथा आहत रामप्रसाद को घोर उपहति कारित हुई। फरियादी रामप्रसाद द्वारा दुर्घटना कारित वाहन के चालक के विरुद्ध चौकी उकवा में रिपोर्ट दर्ज करायी गई, जिस पर पुलिस द्वारा वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक-0/2010, धारा-279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत लेख कर थाना रूपझर में असल नम्बर पर अपराध क्रमांक-43/2010, धारा-279, 337 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन को जप्त कर, विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आहत रामप्रसाद की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में आहत को फ्रेक्चर होने

के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि. का इजाफा कर अनुसंधान उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 279, 337(दो काउंट), 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-19.04.2010 को समय 10:30 बजे स्थान समनापुर के आगे कीस नदी के पुलिया टर्निंग पर चौकी उकवा थाना रूपझर जिला बालाघाट अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन टवेरा क्रमांक-एम.पी. 20/बी.ए. 1222 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत पुष्पलता, ढलकराम को ठोस मारकर उपहति कारित किया ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत रामप्रसाद को ठोस मारकर घोर उपहति कारित किया ?

#### विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5- आहत ढलकराम (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। वह प्राथी को भी जानता है। घटना वर्ष 2010 की सुबह 10:00 बजे उकवा रोड की है। वह, रामप्रसाद और उसकी लडकी मोटरसाइकिल से उकवा तरफ से आ रहे थे, उनके सामने एक टवेरा चल रही थी और एक टवेरा बैहर तरफ से आ रही थी तभी दोनों टवेरा कासिंग हुई। उस समय वह अपने साईड में था। उसी समय जो बैहर से बालाघाट तरफ जा रही टवेरा ने उनकी गाडी के उपर चढ़ा दी, तो वे गिर गये। उक्त वाहन को आरोपी टवेरा गाडी को स्पीड से चला रहा था। उक्त दुर्घटना में रामप्रसाद का पैर टूट गया था और उसकी लडकी को पैर में चोट आयी थी। उक्त दुर्घटना में उसे चोट आयी थी। उक्त दुर्घटना टवेरा गाडी की थी। पुलिस ने उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया था तथा पूछताछ कर उसके बयान ली थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि मोटरसाइकिल में उस समय तीन लोग बैठे थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उनकी गाडी में तीन सवारी बैठे होने के कारण गाडी लहरा गई और सामने वाली गाडी से टकरा गई। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि सामने वाली गाडी की गति कितनी थी, वह नहीं बता

सकता। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने उसके पुलिस कथन के अनुरूप अभियोजन मामले का समर्थन करते हुये साक्ष्य पेश की है।

6— आहत रामप्रसाद (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को तथा आहतगण को भी जानता है। घटना पिछले वर्ष अप्रैल-मई के समय दिन के 11:00 बजे उकवा की है। गाडी से वह, ढलकराम और पुष्पाबाई उकवा से अपने घर करवाही जा रहे थे, तो समनापुर के पास सामने से आ रही टवेरा गाडी ने उनकी गाडी को ठोस मार दिया था। उक्त घटना समय टवेरा गाडी को आरोपी तेज गति से चला रहा था। उक्त दुर्घटना में उसका पैर टूट गया था, ढलकराम को कमर में चोट आयी थी और पुष्पाबाई को सिर में चोट आयी थी। उन लोगों को डाक्टरी परीक्षण हुआ था। उसके द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 दर्ज करायी गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय उसके पास मोटरसाइकिल चलाने का लायसेंस नहीं था और उस समय मोटरसाइकिल में तीन लोग बैठे हुये थे। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने फरियादी एवं आहत के रूप में लिखायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है।

7— आहत पुष्पलता (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को तथा आहतगण को पहचानती है। घटना दो वर्ष पूर्व सुबह 11-12 बजे ग्राम उकवा के पास की है। वह, उसके पापा और भैया रामप्रसाद मोटरसाइकिल से घर करवाही अपनी साईड से जा रहे रहे थे तभी सामने से आरोपी ने एक गाडी चलाते हुये लाया और उनकी गाडी को ठोस मार दिया। उनके सामने-सामने एक गाडी जा रही थी, दोनों गाडी की कासिंग होने से उनकी गाडी को आरोपी की गाडी ने ठोस मार दिया था। उक्त दुर्घटना में उसके पापा, भैया और उसे चोट आयी थी। उन लोगो का डाक्टरी मुलाहिजा हुआ था। उक्त दुर्घटना के समय आरोपी गाडी को तेज गति से चला रहा था। उक्त दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान ली थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया है कि रामप्रसाद को मोटरसाइकिल अच्छे से नहीं आती एवं उसकी गलती से दुर्घटना हुई। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने उसके पुलिस कथन के अनुरूप अभियोजन मामले का समर्थन करते हुये साक्ष्य पेश की है।

8— मन्नू सिंह मरावी (अ.सा.4), अजाबसिंह पन्दे (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वे आरोपी को जानते हैं। आरोपी से टवेरा गाडी मय दस्तावेज के जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 तथा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 बनाया गया था, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में जप्ती पंचनामा पढकर नहीं देखने व किस संबंध में जप्ती तैयार की गई,

जानकारी न होना प्रकट किया है। इस प्रकार साक्षीगण ने पुलिस की कार्यवाही में मात्र हस्ताक्षर होने के तथ्यों को स्वीकार किया है।

9— अनुसंधानकर्ता फूलचंद तरवरे (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-19.04.2010 को पुलिस चौकी उकवा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-43/2010, धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं धारा-184 मोटर यान अधिनियम की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा मौका नक्शा प्रदर्श पी-1 तैयार किया गया था। उक्त दिनांक को ही साक्षी रामप्रसाद, ढलकराम, कुमारी पुष्पलता के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। उसके द्वारा दिनांक-20.04.2010 को आरोपी विजय बोपचे से साक्षियों के समक्ष वाहन टवेरा क्रमांक-एम.पी.20/बी.ए.1222 मय दस्तावेज सहित जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण भी करवाया गया था। अनुसंधान के दौरान आहत रामप्रसाद को अस्थिभंग की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि. का इजाफा कर अभियोग पत्र पेश किया गया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके द्वारा की गई अनुसंधान कार्यवाही का खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

10— डाक्टर रजनीश श्रीवास्तव (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक-19.04.2010 को वह जिला चिकित्सालय बालाघाट में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक बुधालाल के द्वारा आहत ढलकराम, पुष्पलता, रामप्रसाद की चोटों का परीक्षण करने हेतु पेश करने पर उसने उक्त आहतगण की चिकित्सीय परीक्षण किया था। उसने आहत ढलकराम व पुष्पलता को शरीर में सामान्य प्रकृति की चोट पायी थी तथा आहत रामप्रसाद को भी शरीर में चोटें पायी थी।

11— आहत रामप्रसाद का एक्सरे परीक्षण करने वाले चिकित्सक डाक्टर डी.के.राउत (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-01.05.2010 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक-19.04.2010 को एक्सरे टेक्निशियन ए.के.सेन ने आहत रामप्रसाद पिता बैसाखू के दाहिने पैर का एक्सरे किया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्रमांक-1656 था, जिसे डाक्टर समद ने एक्सरे हेतु रिफर किया था। उक्त एक्सरे प्लेट का उसके द्वारा परीक्षण किया गया था, जिसमें उसने आहत के दाहिने पैर के टिबिया हड्डी के निचले भाग पर अस्थि भंग होना पाया था। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12— उक्त दोनों चिकित्सीय साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में उनके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार चिकित्सीय



साक्षीगण की साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय दुर्घटना के कारण आहतगण ढलकराम एवं पुष्पलता को साधारण चोट कारित हुई थी तथा आहत रामप्रसाद के दाहिने पैर में अस्थि भंग होने से उसे घोर उपहति कारित हुई थी।

13— प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षीगण ढलकराम (अ.सा.1), रामप्रसाद (अ.सा.2) व पुष्पलता (अ.सा.3) जो कि स्वयं आहतगण भी रहे हैं, के द्वारा घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उनके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की गई है। उक्त साक्षीगण ने एकमत में अपनी साक्ष्य में घटना के समय आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन टवेरा को चालन किये जाने और उसकी गलती से दुर्घटना कारित होना प्रकट किया है। उक्त तथ्य का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से उनके प्रतिपरीक्षण में नहीं किया गया है। साक्षीगण की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

14— बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि स्वयं आहत रामप्रसाद अन्य दो आहत ढलकराम व पुष्पलता को मोटरसाइकिल में बैठाकर बिना लायसेंसधारी होते हुये चालन कर रहा था। साथ ही यह भी तर्क पेश किया गया है कि मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने तथा अंशदायी उपेक्षा बरतने से आरोपी के विरुद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता। उक्त तर्क के संबंध में मामले के तथ्य एवं परिस्थिति को देखते हुये विचार किये जाने पर यह प्रकट होता है कि मात्र आहत रामप्रसाद के पास वाहन चलाने का वैध लायसेंस न होने और मोटरसाइकिल में तीन व्यक्ति सवार होने के आधार पर आरोपी आरोपित अपराध के लिये उन्मोचित नहीं हो सकता है। आरोपी बड़े वाहन टवेरा को लोकमार्ग पर चलाते हुये छोटे वाहन की सुरक्षा का ध्यान रखने की उसके कर्तव्य एवं दायित्व से विमुख होना प्रकट होता है। सम्पूर्ण साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आरोपी ने लोकमार्ग पर दुर्घटना कारित वाहन टवेरा को सम्यक् सतर्कता व उचित सावधानी के अभाव में चालन करते हुये आहतगण को साधारण एवं घोर उपहति कारित की। इस प्रकार अभियोजन ने मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है।

15— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर वाहन टवेरा क्रमांक-एम.पी. 20/बी.ए.1222 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए आहत पुष्पलता, ढलकराम को ठोस मारकर साधारण उपहति एवं आहत रामप्रसाद को ठोस मारकर घोर उपहति कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337(दो काउंट), 338 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है। आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

16— आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है,

उसके द्वारा मामले में वर्ष 2010 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा नियमित रूप से उपस्थित होते रहा है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

17— आरोपी के विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है। आरोपी लगभग 4 वर्ष से विचारण का सामना कर रहा है। मामले में घटना के समय तीन आहतगण मोटरसाइकिल पर सवार थे तथा आहत रामप्रसाद के पास उक्त वाहन के चालन हेतु वैध अनुज्ञप्ति भी नहीं थी। मामले की परिस्थिति व अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने पर न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337(दो काउंट), 338 के अपराध के अंतर्गत निम्नानुसार दण्डित किया जाता है:-

धारा	कारावास की सजा	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड के व्यक्तिकम में कारावास
धारा-279 भा.द.वि.	—	1000 /—	1 माह का सादा कारावास
धारा-337 आहत (ढलकराम की चोट हेतु)	—	500 /—	15 दिन का सादा कारावास
धारा-337 आहत (पुष्पलता की चोट हेतु)	—	500 /—	15 दिन का सादा कारावास
धारा-338 भा.द.वि.	न्यायालय उठने तक की सजा	1000 /—	1 माह का सादा कारावास

18— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

19— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्रमांक-एम.पी.04 / बी.ए.9879 मय दस्तावेज सहित सुपुर्ददार मन्नूसिंग मरावी पिता भादूसिंग, निवासी वार्ड नं. 11 बैहर थाना बैहर जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है। अतएव अपील अवधि पश्चात् उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट